

HARYANA GOVERNMENT
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 13th May, 2022

No. G.S.R. 107/Const. /Art. 309/2022. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Education (College Cadre) Group B Service Rules, 1986, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Education (College Cadre) Group B Service, (Amendment) Rules, 2022
2. In the Haryana Education (College Cadre) Group B Service Rules, 1986, in rule 5, for the word "forty", the words and sign "forty two" shall be substituted.

ANAND MOHAN SHARAN,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Higher Education Department.

9579—C S.—H G P., Pkl

भाग-III

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 107/संवि० /अनु० 309/2022— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा नियम, 1986, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. ये नियम हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा नियम, 1986, में, नियम 5 में, "वालीस" शब्द के स्थान पर, "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आनन्द मोहन शरण,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।